प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक –01.10.2021(थाना कुण्डा)

भैंसे का वध कर उसका मांस बेचने वाले दो अभियुक्त गिरफ्तार, मौके से गर्दन से कटा किन्तु धड़ से थोड़ा जुड़ा हुआ, मृत भैंसा व वध करने वाले औजार चाकू, छुरा बरामद

जनपद के थाना कुण्डा से उ0नि0 श्री भूपेश नाथ सिंह मय हमराह देखभाल क्षेत्र/चेकिंग में थाना क्षेत्र कुण्डा के सुवंश चौराहे पर मौजूद थे कि मुखबिर खास ने सूचना दिया कि थाना क्षेत्र के रहवई में अनीश अहमद की मांस बेचने की दुकान है जिसके सामने भैंसा काटने हेतु बांधे हुये है। इस सूचना पर उक्त पुलिस टीम तत्काल रहवई में अनीश अहमद की मांस बेचने की दुकान पर पहुंची तो देखा कि दुकान के सामने एक भैंसा बंधा हुआ हैं तथा दुकान के अन्दर दीवाल से घिरे स्थान पर एक भैंसा पड़ा था जिसका गर्दन कटा हुआ किन्तु धड़ से थोड़ा जुड़ा हुआ था तथा उसके पास में अनीश अहमद व एक और व्यक्ति मो0 गौहर खून से सने हुये चाकू लिये हुये मिले। पुलिस द्वारा मौके से पकड़े गये उक्त दोनों व्यक्तियों से की गयी पूछताछ/जांच में ज्ञात हुआ कि इनके पास केवल मांस बेचने का लाइसेन्स है जबकि इनके द्वारा मांस बेचनें हेतु दुकान के अन्दर भैंसे का क्रूरता पूर्वक वध किया गया था।

पुलिस टीम द्वारा उक्त दोनो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। दुकान के बाहर बंधे भैसे को खोल दिया गया तथा पशु चिकित्सक को सूचना देते हुये मृत भैंसे के शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण–

1. अनीश अहमद पुत्र हनीफ नि0 अत्तानगर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।
2. मो0 गौहर पुत्र निसार अहमद नि0 बरई थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

पंजीकृत अभियोग–

1. मु0अ0सं0 328/2021 धारा 429 भादवि व 11(1) (I) पशु क्रूरता अधि0 ।

पुलिस टीम– उ0नि0 श्री भूपेश नाथ सिंह, आरक्षी विपिन चौधरी व आरक्षी रामलखन यादव थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।